

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-4) विभाग

क्रमांक: प. 1(1)कार्मिक/क-4/2022/पैनल/राम.

जयपुर

हायर सुपर टाईम स्केल एवं
सुपर टाईम स्केल के समस्त
राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारीगण।

विषय:— सदस्य, राजस्व मण्डल, अजमेर के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र भिजवाने
बाबत।

राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर में सदस्य के रिक्त पदों को राजस्थान भू-राजस्व (बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की अहर्ताएं और सेवा शर्तें) नियम, 1971 के नियम-4 (घ) के प्रावधानान्तर्गत राजस्थान प्रशासनिक सेवा के हायर सुपर टाईम स्केल व सुपर टाईम स्केल के अधिकारियों से शीघ्र भरा जाना है। जिसके लिए राजस्थान प्रशासनिक सेवा के योग्य/पात्र अधिकारियों का पैनल राजस्व (ग्रुप-1) विभाग को भिजवाया जाना अपेक्षित है।

अतः इच्छुक एवं पात्र हायर सुपर टाईम स्केल एवं सुपर टाईम स्केल के समस्त राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारीगणों से आवेदन पत्र आमंत्रित है। कृपया नियमानुसार अपने आवेदन पत्र मय संलग्न प्रपत्र में दिनांक 05.06.2025 तक इस विभाग को (E-mail- itcell.dop@rajasthan.gov.in) भिजवाने की व्यवस्था करें।
संलग्न:- प्रपत्र।

(कनिष्क कटारिया)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि:— प्रमुख शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-1) विभाग को अध्यक्ष, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर से प्राप्त अ.शा. पत्र क्रमांक: राम/प-1/अधि./विविध/स्था/5917 दिनांक 07.05.2025 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।

कार्मिक (क-4) विभाग, कमरा नं. 1237, मुख्य भवन,
शासन सचिवालय, जयपुर। फोन नं. — 0141-5153222/21990
Website : www.dop.rajasthan.gov.in E-mail : itcell.dop@rajasthan.gov.in

Document certified by KANISHAK
KATARIA <kanishak.ias@gmail.com>.
Digitally Signed by Kanishak
Kataria
Designation : Joint Secretary To
Government
Date :21-05-2025 10:42:41

सदस्य, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर के पद पर आवेदन हेतु पात्र राजस्थान प्रशासनिक सेवा के सुपरटाईम/हायर सुपरटाईम स्केल के अधिकारी जिन्होंने 20 वर्ष की सेवा एवं 54 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो हेतु प्रपत्र

क्र. सं.	अधिकारी का विवरण	विवरण
1.	अधिकारी का नाम एवं बैच	
2.	जन्म तिथि	
3.	राजस्थान प्रशासनिक सेवा में कार्यग्रहण करने की तिथि	
4.	सेवानिवृत्ति तिथि	

दिनांक:-

हस्ताक्षर अधिकारी
मय पदनाम

प्रमाणित किया जाता है कि सेवा अभिलेख के अनुसार श्री/सुश्री/श्रीमती..... के विरुद्ध वर्तमान में कोई विभागीय जांच लम्बित एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है (यदि विभागीय जांच/अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित हो तो छायाप्रति संलग्न करें) एवं इस अवधि में इनके विरुद्ध कोई दण्डादेश जारी नहीं किया गया है (यदि दण्डादेश हो तो छायाप्रति संलग्न करें।)

हस्ताक्षर विभागाध्यक्ष
मय पदनाम एवं मोहर